न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 29/2018 दायरा दिनांक : 07.02.2018

उनवान

उदा पुत्र श्री गोपीलाल, जाति चमार, निवासी पाकलखेड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— पांची बाई पुत्री श्री गोपीलाल पत्नी श्री चतुर्भुज, जाति चमार, निवासी पाकलखेड़ा हाल मुकाम नीलकण्ड आवास बेडिया अन्ता, जिला बारां

2— बद्री बाई पुत्री श्री गोपीलाल पत्नी श्री केसरीलाल, जाति चमार, निवासी पाकलखेड़ा हाल मुकाम चैनपुरिया चन्द्राहेड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री नरेन्द्र सोमानी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बाल मुकुन्द गूर्जर एवं श्री लक्ष्मी नारायण नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 260/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम वाके माल पाकलखेड़ा में अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 648 रकबा 0.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.09 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.38 हेक्टर जो अपीलांट के नाम उसके दत्तक पिता मोहना पुत्र श्री घासी से दर्ज हुई है । उक्त आराजी को अपीलांट द्वारा मोहना की पगड़ी की रस्म में प्राप्त हुई थी । अपीलांट के मूल पिता गोप्या उर्फ गोपीलाल से प्राप्त नहीं हुई है । इस आशय का अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब में उल्लेख किया गया है । इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उक्त साक्ष्य का किसी प्रकार से कोई विवेचन नहीं किया गया एवं अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जो मौजूदा कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा डी डब्ल्यू 1 लगायत 4 के रूप में बयान लेख बद्ध कराये गये जिसका अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है केवल वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं बयानों के आधार पर दावा डिक्री किया गया है तथा रेस्पोडेंट क्रम 1 पांची बाई को 1/3 हिस्से का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है । उक्त वाद में गोप्या उर्फ गोपीलाल जो अपीलांट का पिता था, उसके खाते की आराजी रतन लाल व लटूर लाल पुत्र डाल्या के खाते दर्ज हो गयी क्योंकि डाल्या व गोपी लाल दोनों सगे भाई थे । उदा मोहना पुत्र घासी के गोद जाने से उसको कोई जमीन अपने पिता की पुश्तैनी जायजाद में से प्राप्त नहीं थी । अतः प्रथम दृष्टया रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 का उक्त सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं बनता है । रेस्पोडेंट पांची बाई द्वारा उक्त विवादित सम्पत्ति को पुश्तैनी बताकर दावा पेश किया गया है परन्तु पुश्तैनी होने के कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के मौखिक कथनों पर विश्वास कर कानूनी गलती की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है । पांची बाई यदि कोई अपना हिस्सा लेना चाहती है वह गोप्या उर्फ गोपीलाल के खाते में दर्ज भूमि में

से ही प्राप्त कर सकती है और यह हिस्सा वर्तमान में रतन व लटूर के खाते में दर्ज है जिन्हें उक्त वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की गई है, जिसे निरस्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर न दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह सही है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन तथा दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अपीलांट के द्वारा अपील में यह तथ्य मुख्य रूप से प्रस्तुत किये गये हैं कि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज आराजी अपीलांट को गोपीलाल से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि मोहना से प्राप्त हुई है । तथ्यों की पुष्टि में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेकार्ड भी प्रस्तुत किया है । जमाबंदी सम्वत 2067–70 एक्जीविट 1 है जिसमें उदा पुत्र गोपीलाल खसरा नम्बर 648 रकबा 0.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 649 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 650 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.09 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.38 हेक्टर खातेदारी दर्ज है । उपरोक्त खसरा नम्बर पूर्व में

जिस खसरा नम्बरों से बने हैं, उसका मिलान क्षेत्रफल एक्जीविट 3 पेश किया गया है जिसमें खसरा नम्बर 648, खसरा नम्बर 649, खसरा नम्बर 650 खसरा नम्बर 447 मिन से बने हैं तथा खसरा नम्बर 713 व खसरा नम्बर 720 खसरा नम्बर 576 मिन व 594 मिन से बना है । जमाबंदी सम्वत 2037–40 जो कि एक्जीविट डी 1 है उसमें डाल्या 1/6 एवं गोप्या 1/6 बेटा नारायण दर्ज है तथा गोरधन एवं मोहना बेटा घासी के 1/6 अंकित है एवं कुल आराजी 37 बीघा 2 बिस्वा दर्ज है । कौनसा खसरा नम्बर भविष्य में किस खातेदार के पास गया उपरोक्त जमाबंदी से स्पष्ट नहीं है । इसी प्रकार एक्जीविट डी 4 जिसमें खसरा नम्ब्र 447 दर्ज है एवं खसरा नम्बर 648, 649 व 650 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्ब्र 447 मिन 7 बीघा 6 बिस्वा से बनना पाया गया है, परन्तु उक्त जमीन क्या अपीलांट को मोहना के द्वारा प्राप्त हुई है एवं मोहना का उक्त आराजी में किस प्रकार से हिस्सा दर्ज है, स्पष्ट नहीं है । इसी प्रकार अन्य आराजी भी अपीलांट को किस प्रकार प्राप्त हुई रिकार्ड से स्पष्ट नहीं है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट को उक्त आराजी किस प्रकार मोहना से प्राप्त हुई, उसका कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर सलंग्न नहीं है । जमाबंदी का जब तक क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया जाता तब तक यह किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं है कि उक्त जमीन उदा पुत्र गोप्या को किस प्रकार से प्राप्त हुई है । अतः यह भी स्पष्ट नहीं है कि रेस्पोडेंट उक्त आराजी में क्या खातेदारी घोषणा के अधिकारी हैं अथवा नहीं । क्या अपीलांट मोहना का दत्तक पुत्र था, क्या अपीलांट के पिता की आराजी डाल्या के वारिसान के नाम दर्ज हो गई । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं की गई है एवं उक्त विवाद को निर्णित करने हेतु उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में तनकी बनाकर तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को तलबकर ही किया जा सकता है । चूंकि उक्त निर्णय अस्पष्ट रेकार्डएवं अस्पष्ट साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है, इसलिए अपास्त किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करें, अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करें एवं उक्तानुसार गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा